रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 7, 2000/श्रावण 16, 1922
No. 420] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 7, 2000/SRAVANA 16, 1922

## श्रम मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2000

**सा.का.नि. 651 (अ).**—धातुमय खान विनियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए, जैसा कि खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव है, कतिपय विनियमों का निम्नलिखित मसौदा इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 59 की उप-धारा (1) में अपेक्षित है तथा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा विनियमों पर सरकारी गजट, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी, की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध होने की तिथि से तीन माह की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा ।

इससे प्रभावित होने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां अथवा सुझाव सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को प्रेषित कर सकता है ।

उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्तियों अथवा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

1. (i) इन विनियमों को धातुमय खान (संशोधन) विनियम, 2000 कहा जायेगा ।

   (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इन विनियमों के अंतिम मसौदे का प्रकाशन होने पर प्रभावी होंगे ।

2. धातुमय खान विनियम, 1961 में

(i) विनियम 15, उप-विनियम (2) में

(क) "किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड की माध्यमिक स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष" शब्दों के स्थान पर "किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटर परीक्षा या उसके समकक्ष अथवा अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या खनन अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य समकक्ष अर्हताएं " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) इस परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्

"प्रावधान है कि इस उप-विनियम में कुछ भी किसी व्यक्ति पर इसके उपबंधों को पूरा न करने पर धातुमय खान (संशोधन) विनियम, 2000 के आरंभ होने के तिथि से उपर्युक्त किसी भी परीक्षा में प्रवेश होने पर या लेने से नहीं रोकेगा, यदि उक्त प्रमाण पत्र के लिए ऐसी किसी परीक्षा में विनियम के आरंभ होने से पहले उसे प्रवेश दिया जा चुका हो :

यह भी प्रावधान किया गया है कि इस उप विनियम में कुछ भी किसी व्यक्ति पर इसके उपबन्धों को पूरा न करने पर धातुमय खान (संशोधन) विनियम, 2000 के आरंभ होने की तिथि से, आरम्भ होने की तिथि सहित तीन वर्षों के लिए, उक्त प्रमाण पत्र के लिए उपर्युक्त किसी भी परीक्षा में प्रवेश लेने से नही रोकेगा ।"

(ग) विनियम 15 के उप विनियम (3) को हटा दिया जायेगा ।

(11) विनियम 16 (क) में उप विनियम (1) में,

(अ) कोष्ठकों, शब्दों तथा अंकों के लिए, (एक विनिमय अथवा सेवा प्रमाणपत्र से भिन्न जिन पर क्रमशः विनियम 22 और 23 के उपबंध लागू होते हैं) कोष्ठकों, शब्दों और अंकों, (एक विनियम प्रमाण पत्र से भिन्न जिस पर विनियम 22 के उपबंध लागू होते हैं) प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ब) 'पांच और तीन' शब्दों के लिए 'छः और पांच', शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(स) परन्तुक के लिये निम्नलिखित परन्तुकों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

बशर्ते कि :

(क) किसी उम्मीदवार के मामले में जिसने केन्द्रीय सरकार के द्वारा इस संबंध में अनुमोदित खनन् में डिप्लोमा अथवा खनन् इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त की है, ऐसी अवधि को घटा कर क्रमशः 'पांच और चार' वर्ष किया जायेगा ,

(ख) किसी उम्मीदवार के मामले में जिसने केन्द्रीय सरकार के द्वारा इस संबंध में अनुमोदित खनन् इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा अन्य समकक्ष योग्यता प्राप्त प्राप्त की है, ऐसी अवधि को घटा कर क्रमशः दो और एक वर्ष किया जायेगा , और

(ग) किसी उम्मीदवार के मामले में जिसने केन्द्रीय सरकार के द्वारा इस संबंध में अनुमोदित अनुप्रयुक्त भूविज्ञान, सिविल, यांत्रिकी अथवा इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में एक डिग्री अथवा अन्य समतुल्य योग्यता प्राप्त की है, ऐसी अवधि को घटाकर क्रमशः चार और ढाई वर्ष किया जायेगा ।

और बशर्ते कि, व्यवहारिक अनुभवों की उपरिलिखित प्रत्येक अवधियां अपेक्षित डिप्लोमा, डिग्री अथवा अन्य समकक्ष योग्यता, जैसा भी मामला हो, लेने के बाद, प्राप्त किया गया होगा ।

(घ) उप-विनियम (2) में, दूसरे परन्तुक में, द्वितीय श्रेणी के मामले में एक वर्ष और प्रथम श्रेणी प्रबंधक के प्रमाणपत्र के मामले में डेढ़ वर्ष शब्दों के लिए द्वितीय श्रेणी के मामले में छःमाह और प्रथम श्रेणी प्रबंधक के प्रमाणपत्र के मामले में एक वर्ष शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[फा. सं. एस.-66012/3/98-आईएसएच-II]

आर.के. सैनी, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी.**—प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 337 दिनांक 18 अक्टूबर, 1960 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

**1.जी.एस.आर. 946 दिनांक 4 जुलाई, 1964**

**2.जी.एस.आर. 1604 दिनांक 29 अक्टूबर,1965**

**3.जी.एस.आर.1359 दिनांक 3 सितम्बर, 1966**

**4.जी.एस.आर. 949 दिनांक 10 जून, 1970**

**5.जी.एस.आर.1009 दिनांक 14 सितम्बर,1974**

**6.जी.एस.आर. 513 दिनांक 19 अप्रैल, 1975**

**7.जी.एस.आर. 308 दिनांक 28 फरवरी, 1977**

**8.जी.एस.आर. 615 (अ) दिनांक 30 जुलाई, 1985 और**

**9.जी.एस.आर. 818 (अ) दिनांक 6 सितम्बर,1989**

## MINISTRY OF LABOUR

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2000

**G.S.R. 651(E).**—The following draft of certain regulations further to amend the Metalliferous Mines Regulations, 1961, which the Central Government propose to make, in exercise of powers conferred by section 57 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), is hereby published as required by sub-section (1) of section 59 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of three months from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published , are made available to the public.

A person likely to be affected thereby, may address his objections or suggestions to the Secretary, Ministry of Labour, Government of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001.

Any objections or suggestions, which may be received from any person with respect of the said draft regulations within the period specified above, will be considered by the Central Government.

## DRAFT REGULATIONS

1. (i) These Regulations may be called the Metalliferous Mines (Amendment) Regulations, 2000.

(ii) They shall come into force on the publication of the final draft of these regulations in the Official Gazette.

2. In the Metalliferous Mines Regulations, 1961,-

(i) in regulation 15, sub-regulation (2),-

(a) for the words, "Secondary School examination of a recognized Board or its equivalent", the words," Senior Secondary School examination or Intermediate examination or its equivalent from a recognized Board or University or Diploma in Engineering or Degree in Mining Engineering or other equivalent qualifications approved in that behalf by the Central Government," shall be substituted.

(b) for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely,-
"provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to debar a person, not satisfying the provisions thereof, on and from being admitted at any of the aforesaid examinations from the date of commencement of the Metalliferous Mines (Amendment) Regulations, 2000, if he had been admitted at such examinations for the said certificates before such commencement:
Provided further that nothing in this sub-regulation shall be deemed to debar a person not satisfying the provisions thereof from being admitted at any of the aforesaid examinations for the said certificates for three years from the date of commencement of the Metalliferous Mines (Amendment) Regulations, 2000 including the date of such commencement,"
(c) the sub-regulation (3) of regulation 15, shall be omitted.
(ii)in regulation 16 (a) in sub-regulation (1),-

(A) for the brackets, words and figures, "(other than an Exchange or Service Certificate to which the provisions of Regulations 22 and 23 respectively apply)", the brackets, words and figures, "(other than an Exchange Certificate to which provisions of regulation 22 apply)", shall be substituted;

(B) for the words "five and three", the words "six and five", shall be substituted.

(C) for the proviso the following provisos shall be substituted, namely-,

"provided that,-

(a) in the case of a candidate who has received a Diploma in Mining or Mining Engineering or other equivalent qualification approved in that behalf by the Central Government , such period shall be reduced to "five" and "four" years, respectively;

(b) in case of a candidate who has received a Degree in Mining Engineering or other equivalent qualification approved in that behalf by the Central Government, such period shall be reduced to "two" and "one" years, respectively; and

(c) in case of a candidate who has received a degree in Applied Geology, Civil, Mechanical or Electrical Engineering or other equivalent qualifications approved in that behalf by the Central Government, such period shall be reduced to "four" and "two and a half" years, respectively.

Provided further that each of the aforementioned periods of practical experiences shall have been obtained after receiving the requisite Diploma, Degree or other equivalent qualification, as the case may be.

(d) in sub-regulation (2), in the second proviso, for the words, "one year in case of Second class and one and half year in case of First Class Manager's Certificate", the words, "six months in case of Second Class and one year in case of First Class Manager's Certificate", shall be substituted.

[F. No S-66012/3/98-ISH-II]

R. K. SAINI, Jt. Secy

**Note.**—The Principal Regulations were published in the Gazette of India, vide Number G.S.R. 337 dated 18th October, 1960 and subsequently amended by :—

1. G.S.R. 946 dated 4th July, 1964,
2. G.S.R. 1604 dated 29th October, 1965,
3. G.S.R. 1359 dated 3rd September, 1966,
4. G.S.R. 949 dated 31st June, 1970,
5. G.S.R. 1009 dated 14th September, 1974,
6. G.S.R. 513 dated 19th April, 1975,
7. G.S.R. 308 dated 28th February, 1977,
8. G.S.R. 615(E) dated 30th July, 1985, and
9. G.S.R. 818(E) dated 6th September 1989.

2175-GI/2000-2

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.